



बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/63/2022- 19

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राणा प्रताप सिंह,

पिता-श्री कौशल कुमार सिंह,

ग्राम+पोस्ट-डुमरी, थाना-मांझी,

जिला-सारण, पिन-841313

पटना 14, दिनांक- 04/01/2025

विषय- श्री राणा प्रताप सिंह द्वारा सारण जिलान्तर्गत भदपा मौजा के खाता संख्या-104, 79, प्लॉट संख्या-381, 382, थाना संख्या-210, थाना-रिविलगंज में NH-19 छपरा-मांझी पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रस्ताव संख्या- FP/BR/Approach/156110/2022/1273, दिनांक 13.07.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक FC/63/2022-1076 दिनांक 13.08.2025

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्रांक-783, दिनांक- 21.10.2024 "प्रस्ताव संख्या- FP/BR/Approach/156110/2022/1273, दिनांक 13.07.2023" द्वारा अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं तद्दालोक में तत्कालीन मजदूरी दर रु. 424/- प्रति मा. दि. के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण मद में रु. 9,13,386/- की राशि जमा किया गया था, परंतु आपके द्वारा एक वर्ष के उपरांत दिनांक- 21.11.2025 को Parivesh Portal द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रु. 9,13,386/- की राशि किये जाने की सूचना दी गयी है।

विदित है कि वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि कर रु. 428/- प्रति मा. दि. किया गया है।

3. अतएव रु. 428 प्रति मानव दिवस के आधार पर आकलित क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि रु. 9,18,745/- मात्र और NPV की राशि रु. 38,072/- मात्र की कुल योग राशि रु. 9,56,817/- मात्र की जगह आपके द्वारा जमा की गयी क्षतिपूरक वनरोपण मद में राशि रु. 9,13,386/- मात्र और NPV मद में राशि रु. 38,072/- मात्र की कुल योग राशि रु. 9,51,458/- मात्र जमा किया गया अर्थात् कुल अंतर की राशि रु. 5,359/- को मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा कर तथा जमा राशि से संबंधित UTR No. को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।


अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त अंतर राशि रु. 5,359/- को मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा कर तथा जमा राशि से संबंधित UTR No. को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव संख्या- FP/BR/Approach/156110/2022 /1273, दिनांक 13.07.2023 द्वारा अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

  
(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : FC/63/2022- 19 दिनांक :- 07/01/2026  
प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 428/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

  
06/01/2026